मत्स्य निदेशालय

झारखण्ड, रॉंची

सं0सं0- म0नि0-X-बैठक–52 / 2016–17 / 1923 /मत्स्य/रॉंची, दिनांक 25-10-2016

प्रेषक,

निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

सेवा में,

जिला मत्स्य पदाधिकारी- सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)
जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)

विषय : पोर्टेबल हैचरियों के लिए हैचरी संचालकों के चयन एवं प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 65 पोर्टेबल हैचरियाँ स्थापित की जा रही हैं। हैचरी अधिष्ठापन के स्थल के समीप निवास करने वाले मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से हैचरी संचालन किया जाएगा ताकि हैचरी संचालन से मत्स्य स्पॉन का उत्पादन अनवरत चलता रहे। चयनित मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए पोर्टेबल हैचरियों के संचालन हेतु राज्य स्तरीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण (दो स्लॉट्स) में आयोजित किया जाएगा। सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी योग्य एवं सक्रिय मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन कर दिनांक 30.11.2016 तक नाम भेजना सुनिश्चित करेंगे ताकि दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह से इनका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके।

विश्वासभाजन
25/10/16
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक 1923 /मत्स्य/राँची, दिनांक 25-10-16 /

प्रतिलिपि : उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य अनुदेशक, नामित हैचरी संचालकों के लिए हैचरी निर्माण तथा संचालन हेतु अलग से कोर्स मेटेरियल तैयार करेंगे। सुलभ प्रसंग हेतु हैचरी संचालन का **SOP** संलग्न है।

25/10/16
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची।

पोर्टेबल मत्स्य हैचरी के संचालन का SOP

राज्य में मत्स्य स्पॉन की निर्भरता अन्य राज्यों पर कम करने के उद्देश्य से चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड राँची द्वारा राज्य के विभिन्न जलाशयों के समीप/उपयुक्त मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर हैचरी संचालन की योजना स्वीकृत है। योजनान्तर्गत प्रति इकाई एक पोर्टेबल हैचरी का अधिष्ठापन, एक मॉडल शेल्टर हाउस का निर्माण, आवश्यकतानुसार 01 एकड़ के रियरिंग तालाब निर्माण, आवश्यकतानुसार 01 बैटरी मॉडयूलर (चार केज) का अधिष्ठापन एवं अन्य कार्य निदेशित है।

समुचित पानी वाले स्थलों यथा जलाशयों अथवा मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों पर हैचरी अधिष्ठापन से अधिक सफलतापूर्वक हैचरी संचालन किया जा सकेगा। इसी उद्देश्य से हैचरी संचालन में प्रयुक्त आवश्यक कॉम्पोनेन्ट्स एवं आधारभूत संरचनाएँ का समुचित पानी वाले सुयोग्य स्थलों पर आवश्यकतानुसार अधिष्ठापन कराया जाएगा। अत: हैचरी अधिष्ठापन के लिए स्थल चयन हेतु समुचित पानी की उपलब्धता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

2. प्रत्येक स्थल पर एक पोर्टेबल हैचरी इकाई के अधिष्ठापन हेतु मुख्य कम्पोनेन्ट्स की सूची निम्न प्रकार है -

   क. पोर्टेबल हैचरी कॉमप्लेक्स जिसका प्राक्कलन संलग्न है। (अनु0 क)
   ख. हैचरी में जलापूर्ति हेतु 02 पम्प सेट तथा विद्युत आपूर्ति आदि
   ग. वर्किंग शेड
   घ. सोलर लाईट तथा डॉमेस्टिक सोलर लाईट
   ड़. वॉटर फिल्ट्रेशन प्लान्ट
   च. अन्य इनपुट आदि
   छ. आवश्यकतानुसार स्वीकृत्यादेश के अनुसार एक मॉडयूलर बैटरी (चार केज)
   ज. आवश्यकतानुसार 01 एकड़ का तालाब

3. **स्थल के अनुसार कार्य :** स्थल के अनुसार उक्त अंकित कार्यों में से आवश्यक कार्य सम्पादित किए जायेंगे। जलाशय के समीप अधिष्ठापित किए जाने वाले पोर्टेबल हैचारियों की इकाई में ब्रूडर/स्पेन्ट फिश आदि के संचयन के लिए केज का उपयोग किया जाएगा तथा स्थल की उपलब्धता के अनुसार एक एकड़ का तालाब, वॉटर फिल्ट्रेशन प्लान्ट तथा वर्किंग शेड का निर्माण कराया जाएगा। मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों के समीप अधिष्ठापित किए जाने वाले पोर्टेबल हैचारियों में केज पर राशि व्यय नहीं की जायेंगी। उल्लेखनीय है कि माह अप्रैल/मई में हैचरी संचालन योग्य पानी

1921
25-10-16

224

उपलब्ध रहे, इसका ध्यान रखा जाय। वॉटर फिल्ट्रेशन प्लान्ट के लिए हैचरी निर्माण के पश्चात अलग से इसका डी0पी0आर0 भेजा जायेगा।

4. **स्थल चयन**

(i) **जलाशय के समीप पोर्टेबल हैचरी अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन-**

क. समुचित पानी की उपलब्धता वाले जलाशय।

ख. बरसात में जलाशय का अधिकतम जलस्तर के उपर अधिष्ठापन हेतु स्थल

ग. चयनित स्थल पर पोर्टेबल हैचरी के अन्य कम्पोनेन्ट्स के निर्माण/अधिष्ठापन कार्य हेतु सरकारी भूमि की उपलब्धता।

घ. विद्युत आपूर्ति/पहँच पथ

कमांक क एवं घ को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

(ii) पोर्टेबल हैचरियों का अधिष्ठापन सामान्यतः जलाशयों के आस-पास होगा तथा हैचरी संचालन का कार्य मौसमी होने के कारण शेष महीनों में इसका कार्य बन्द रह जाता है। ऐसे में इसकी सुरक्षा हेतु भी स्थानीय व्यक्तियों की भागीदारी लेना आवश्यक है। **योग्य स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से हैचरी का संचालन सम्भव हो सके तो इस तथ्य को भी स्थल चयन में ध्यान रखा जाएगा।**

5. **हैचरी संचालकों का चयन :** हैचरी अधिष्ठापन के स्थल के समीप निवास करने वाले मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से हैचरी संचालन कराने का प्रयास किया जाएगा ताकि हैचरी संचालन बन्द रहने की स्थिति में भी सरकारी संसाधन सुरक्षित रहे।

6. **हैचरी संचालकों का प्रशिक्षण :** चयनित मत्स्य बीज उत्पादकों/ मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के लिए पोर्टेबल हैचरियों के संचालन हेतु राज्य स्तरीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण (दो स्लॉट्स) में आयोजित किया जाएगा। सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण में भेजना सुनिश्चित करेंगे।

7. **हैचरी संचालन**

- हैचरी संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी जो स्वयं एवं अधिनस्थ कर्मियों की देख रेख में संचालित करायेगे।
- हैचरी संचालन के समय संचालकों को कार्य-स्थल (हैचरी अधिष्ठापन स्थल) पर ही रहना होगा।

1921
25-10-16

- हैचरी संचालन का कार्य मौसमी तथा समयबद्ध (time bound) होता है, अतः संचालन का कैलन्डर तैयार कर लेना होगा। प्रयास यह होना है कि मई माह से ही ब्रीडिंग शुरू हो जाए।

8. **हैचरी संचालन के पूर्व आवश्यक तैयारी :**
   (i) माह फरवरी से समुचित मात्रा में ब्रूडर मछलियों की व्यवस्था कर ली जाए।
   (ii) ब्रूडर मछलियों की उचित फीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाय।
   (iii) जलाशय के समीप वाले स्थलों पर केज में ही ब्रूडर मछलियों का संचयन किया जाय।
   (iv) सामानयतः एक हैचरी से 05 करोड़ मत्स्य-स्पॉन का उत्पादन लक्षित किया जाना है। अतः एक हैचरी सिस्टम के लिए कम से कम 700 कि0ग्रा0 मादा मछली एवं 800-900 कि0ग्रा0 नर मछली की आवश्यकता होगी। स्थानीय तौर पर परिपक्व प्रजनकों की व्यवस्था कर ली जाय।
   (v) उत्पादित स्पॉन का स-समय विपणन प्रमुख activity होगी। इसलिए व्यापक प्रचार तथा दूरभाष आधारित सूचना से ग्राहकों को तिथिवार पूर्व से सूचना दे दी जाय।
   (vi) अन्य सामग्री यथा पॉलीथिन बैग्स एवं ऑक्सीजन सिलिन्डर की व्यवस्था कर ली जाएगी।

9. **तैयार स्पॉन का विपणन :**

   स्पॉन तैयार होने की तिथि का आकलन करते हुए जिला मत्स्य कार्यालय द्वारा आस पास के मत्स्य बीज उत्पादकों को कम से कम चार पांच दिन पूर्व स्पॉन उठाव के लिए सूचित करेंगे।

10. **पोर्टेबल हैचरी के समयोचित अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु समयबद्ध कार्यक्रमः**

   संलग्न है जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप आंशिक विचलन किया जा सकेगा।

(हस्ताक्षर) 25/10/16
निदेशक मत्स्य

ज्ञापांक म0नि0-X-बैठक–52/2016–17–1921/मत्स्य/राँची, दिनांक 25-10-16/

प्रतिलिपि : उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/10/16
निदेशक मत्स्य
झारखण्ड, राँची।

पोर्टेबल हैचरी के समयोचित अधिष्ठापन एवं संचालन हेतु समयबद्ध कार्यक्रम :-

फेज	क्र0	कार्य	समय
क	1	स्थल चयन तथा मत्स्य निदेशालय को सूचना प्रेषण	30 नवम्बर 2016
	2	हैचरी संचालकों का चयन	30 नवम्बर 2016
	3	हैचरी संचालकों का प्रशिक्षण	माह दिसबंर के प्रथम सप्ताह से
ख	1	फैब्रिकेटरों को कायदिश प्रेषण	माह दिसबंर के प्रथम सप्ताह से
	2	पोर्टेबल हैचरी फैब्रिकेशन (पाईप फिटिंग सहित) - संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी तथा प्रशिक्षित हैचरी संचालक की देख-रेख में।	माह दिसबंर के तृतीय सप्ताह से
	3	अन्य कम्पोनेन्ट्स यथा वॉटर फिल्ट्रेशन प्लान्ट, वर्किंग शेड इत्यादि का अधिष्ठापन	जनवरी 2017
	4	उपयुक्त ब्रूडर मछलियों की प्राप्ति एवं संचयन	फरवरी 2017
	5	अधिष्ठापित हैचरी में जलापूर्ति जाँच तथा डेमो-ऑपरेशन	मार्च 2017
ग	1	मेजर कार्प ब्रूडर मछली की प्राप्ति अथवा पूर्व से संचित ब्रूडर मछलियों का उचित पोषण आरम्भ करना	फरवरी, 17
	2	विपणन हेतु वृहद प्रचार आरम्भ, इच्छुक मत्स्य बीज उत्पादकों के तालाब की तैयारी	मार्च-अप्रैल, 17
	3	मेजर कार्प ब्रूडर मछली का प्रजनन	मई-जुलाई, 17